8 922/ER

10/4/19

कार्यालय नगर आयुक्त, वाराणसी नगर निगम, वाराणसी

संख्या-214/न॰आ॰/18-19

दिनांक-मार्च 23, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

राष्ट्रीय हरित अभिकरण की ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन निगरानी समिति के मा0 अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री डी0पी0 सिंह की अध्यक्षता में दिनांक-18.03.2019 को हुई बैठक का एजेण्डा संलग्न कर प्रेषित करते हुए एजेण्डा बिन्दु संख्या-10(a/c), जिसमें वरूणा व असि नदी पर किये गये अतिक्रमण यथा मलबा, मिट्‌टी का टीला, स्लज/ठोस अपशिष्ट आदि के निस्तारण हेतु निम्नानुसार अधिकारियों की एक समिति गठित की जाती है:-

1. अपर नगर आयुक्त-I, वाराणसी नगर निगम – अध्यक्ष
2. मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी, वाराणसी नगर निगम – सदस्य
3. मुख्य अभियंता, वाराणसी नगर निगम, – सदस्य
4. परियोजना प्रबधंक, यू0पी0पी0सी0एल0, कार्यदायी संस्था वरूणा कॉरीडोर – सदस्य
5. अधिशाषी अभियंता, बंधी प्रखण्ड, सिंचाई विभाग, वाराणसी – सदस्य
6. श्री अजय कुमार राम, अधिशासी अभियन्ता (वि0/यां0), वाराणसी नगर निगम – सदस्य

उपरोक्त समिति का दायित्व होगा कि मौके पर जाकर नदी पर जमा किये गये मलबा, मिट्‌टी का टीला, स्लज/ठोस अपशिष्ट आदि के निस्तारण हेतु क्या किया जा सकता है, सिंचाई विभाग को मलबे के निस्तारण हेतु कोई बजट आंवटित है अथवा नही, एवं वरूणा कॉरीडोर निर्माण हेतु बनाये गये डी0पी0आर0 में मलबे आदि के निस्तारण हेतु कोई प्राविधान है अथवा नहीं, अगर है तो विभागीय समन्वय के साथ करसड़ा कूड़ा प्लान्ट तक कूड़ा ले जाने हेतु आवश्यक प्रबन्ध किये जाये अगर नहीं है तो उक्त मलबे के निस्तारण हेतु सिंचाई विभाग व यू0पी0पी0सी0एल0, कार्यदायी संस्था वरूणा कॉरीडोर क्या मदद की जा सकती है इस सम्बन्ध में भी अपना स्पष्ट अभिमत देंगें।

15/03/19

(आशुतोष कुमार द्विवेदी)

नगर आयुक्त

प्रतिलिपि-

1. आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी को सादर अवलोकनार्थ।
2. जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी को सादर आवलोकनार्थ।
3. उपरोक्त गठित समिति के अधिकारीगण को अनुपालनार्थ।

नगर-आयुक्त नगर-निगम वाराणसी

परियोजना प्रबंधक, यू0पी0 पी0 सी0एल0, कार्यदायी संस्था वरूणा कॉरीडोर

15/03/19

(आशुतोष कुमार द्विवेदी)

नगर आयुक्त

कृते जिलाधिकारी
प्रभारी अधिकारी
अभिलेखागार (आंग्ल)
वाराणसी